Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI B. K. GADHVI: Sir, I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): I shall now put the motion regarding the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Amendment Bill, 1989 to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI B. K. GADHVI: Sir, I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1989.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Bill is a sequel to the Constitution. Sixty-First Amendment Act, 1988, amending Article 326. The amendment has come into force with effect from the 28th March 1989 having been ratified by the legislature of more than one-half of the States as required by the proviso to Article 368(2) of the Constitution. It has reduced the age of voting from 21 to 18 years. Section 19(a) of the Representation of the People Act, 1950 specifies the age of voting as 21. After the Constitution Sixty-First Amendment, 1988, this has to be amended with retrospective effect from the 28th March 1989. Under section 14(b) of the 1950 Act, the qualifying date in relation to the preparation or revision of every electoral roll means the first day of January of the year in which it is so prepared or revised. Elections are due this year and if the electoral rolls are revised and updated in the usual manner with 1st January 1989 as the qualifying date, the younger generation of the age-group of 18 to 21, which has become entitled to vote from the 28th March 1989, would not be entitled to exercise its right to vote in the ensuing elections. The intention behind lowering the voting age is that the new voters should not wait for a further period before taking part in the next elections. It is, therefore, proposed to amend Articles 14(b) with a view to providing that the qualifying date in relation to the preparation or revision of every electoral roll under Part III of the said Act shall be the first day of April 1989. The Election Commission has already initiated the necessary steps for enrolling all those who attained the age of 18 as on 1-4-1989 in all the States and Union Territories so that the task of upgrading the electoral rolls covering also the new category of electors during the current year is not delayed on any account. Therefore, a provision has been added in the Bill to validate all things done and all steps taken in anticipation by the Election Commission. It is further proposed to amend section 9 of the 1950 Act for empowering the Election Commission to consolidate all information relating to delimitation of Parliamentary and Assembly constituencies. The said section 9 empowers the Election Commission to correct only printing

[Shri B. Shankaranand]

mistakes in the delimitation order or make amendments to bring about changes in the name of any district or in its boundaries. The Election Commission has been empowered to issue the delimitation order under Central Acts, namely, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986, the State of Mizoram Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu Representation Act, 1987. Section 9 of the 1950 Act, as it stands today, does not empower the Election Commission to consolidate the delimitation orders issued under such Central Acts. Therefore, a new section (aa) is proposed to be added after section 9(a) of the 1950 Act. The whole Schedule to the 1950 Act specifies the local authorities for purposes of elections to legislative councils. The Government of Maharashtra has informed us that Town Committees listed in the State Schedule under the heading 'Maharashtra' no longer exist. It is, therefore, proposed to delete this item from the Schedule. I am sure that the House would pass the Bill unanimously.

Sir, I commend the Bill for the consideration of the House.

The question was proposed.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज यह संयोग ही है कि जब इस देश के 18 वर्ष के नवयुवकों को मताधिकार मिलने जा रहा है और उसके संबंध में संशोधन आया है, आपका जन्म-दिवस भी है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Thank you.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

सलामत रहें आप हजार वर्ष,
हर वर्ष के दिन हों पचास हजार।

महोदय इस छोटे से लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 1989 में 5 संशोधन किए जा रहे हैं। बहुत दिनों से देश में मांग चल रही थी कि चूंकि लोकतंत्र में अधिक-से अधिक लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, इसलिए 18 वर्ष के नवयुवक को भी वोट देने का अधिकार मिल चाहिए। इसलिए इसके उद्देश्य कारण जो यह बताया गया है कि यह ए ऐतिहासिक कदम है, तो मैं तो य कहूंगा कि इस कदम को उठाने में बह देरी हुई है। वर्ष 1969 से यह मां बराबर चली आ रही है, लेकिन फि भी यह सरकार "देर आई, दुरुस्त आई

महोदय, इस अवसर पर मैं य कहना चाहूंगा कि अब जब मताधिक की आयु घटा दी गयी है तो लोक स और विधान सभा के चुनाव में खड़े होने क जो न्यूनतम आयु है, उसमें भी कुछ कमी कर के सम्बंध में सरकार को विचार करना चाहि क्योंकि जब मताधिकार की आयु 2 वर्ष थी तो विधान सभा और लोकसभ चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 2 वर्ष थी। इसलिए सरकार को इस प ध्यान देना चाहिए।

दूसरे, जो चुनाव कानून है उस व्यापक संशोधन के लिए बार-बार मां उठायी जा रही है चुनाव आयोग भी सरकार को लिखा है। बहुत-स इलेक्टोरल रिफार्म्स कमेटीज भी ब चुकी है। उन्होंने भी सुझाव दिया है इसलिए इस सम्बंध में सरकार क्या कर जा रही है? महोदय, मैं सबसे पह संविधान की ओर ध्यान आकर्षित करन चाहूंगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में इस बात का प्रावधान है कि चुनाव आयोग में कई सदस्य हो सकते हैं और जब कई सदस्य होंगे तो उनम एक सदस्य उसका अध्यक्ष होगा। त जब चुनाव कानून में इस बात की व्यवस्था की गयी है तो उसको आज तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया? मैं समझत हूं कि अब यह समय आ गया है कि चुनाव कानून के सम्बंध में हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में जो व्यवस्था है कि कई सदस्य होंगे, इसे कार्यान्वित किय जाना चाहिए।

महोदय, हमारे देश में बहुत दिनों से शिकायत हो रही है कि चुनाव में बोगस वोटिंग होती है। जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं, उनमें फर्जी मतदान होता है।

इस बारे में बहुत से सुझाव भी आए हैं कि फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता को नागरिक को एक परिचय पत्र दिया जाना चाहिए। जब वह परिचय पत्र मिल जाएगा तो नागरिक उसका इस्तेमाल राशन की दुकान में, रेल में और स्थान-स्थान पर कर सकता है। यह जरूर है कि इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है लेकिन यदि बोगस वोटिंग को रोकना है और देश में सही मायनों में लोकतंत्र चलाना है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

तीसरे महोदय, बहुत दिनों से लोक सभा और विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन नहीं हुआ है और हमारे वर्तमान संविधान के अनुसार दो हजार ई॰वी॰ के पहले संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार को इस पर गौर करना चाहिए क्योंकि बीसियों साल से लोक सभा और विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन नहीं हुआ है जिनमें कि परिवर्तन और परिवर्धन की आवश्यकता है।

महोदय, राजनीतिक समाचारों के संबंध में दूरदर्शन और आकाशवाणी का दुरुपयोग किया जा रहा है। राजनीतिक समाचार अपनी सुविधा अनुसार प्रसारित किये जाते हैं। मेरा सुझाव है कि उसके लिए कुछ कोड आफ कंडक्ट या आचार संहिता बनायी जाए कि राजनीतिक समाचार दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए जनता के लिए किस तरह प्रसारित किए जाएं। ...(समय की घंटी)... मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (हेच॰ हनुमनतप्पा) : बात यह है कि बिजनेस एडवायरी कमेटी ने इसके लिए एक घंटे का टाइम अलाट किया है। आपको इसमें सारे चुनाव कानून को लाने की क्या जरूरत है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : प्रधान मंत्री जी ने सन 85 में वायदा किया था... (व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच॰ हनुमनतप्पा) : वह अलग बात है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आज वायदाखिलाफी हो रही है। मैं तो स्वयं खत्म कर रहा था। और अंत में मैं दो बातें और कहना चाहूंगा। एक तो इस समय देश की जनता के मन में बड़ी शंका है कि यह वर्तमान वर्ष, लोक सभा जो पांच वर्ष के लिए चुनी गई थी, उसके चुनाव का वर्ष है, तो चुनाव समय पर होंगे भी या नहीं अथवा चुनाव किसी कारण से टाले जाएंगे? लोगों ने यह भी शंका व्यक्त की है कि आपातकाल लगाकर चुनाव टाल दिए जाएंगे। तो इस संबंध में मैं चाहता हूं कि लोक सभा के चुनाव समय पर हों, क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने भी कहा कि लोक सभा के चुनाव समय पर भी हो सकते हैं और समय पर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आज विधि मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, तो हम स्पष्ट रूप से आश्वासन चाहेंगे कि लोक सभा के चुनाव, कर्नाटक विधान सभा के चुनाव, जहां से मान्यवर आप आते हैं, और पंजाब विधान सभा के चुनाव अब नहीं टाले जाएंगे और यह समय पर करा दिए जाएंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

SHRI KAPIL VERMA (Uttar Pradesh): Sir, I most heartily welcome this Bill as passed by the Lok Sabha and I am very sure that because of the non-controversial nature of this brief Bill, it would be passed unanimously by the House.

Sir, this Bill enable the youths of the country who are between the ages of 18 and 21—it lowers down the age limit—to participate in the elections which are coming now and this Bill is mainly for enumeration and consolidation of information about delimitation and other things. The Election Commission has not been given any special powers, but only consolidation of information is to be done. Sir, it shows the faith and confidence of your youthful Prime Minister in the youths of the country, in the maturity of the coming generation. Our Prime Minister himself is a young man and he has been trying, since assumption of power, to bring the youths of the country to the helm of affairs and

[Shri Kapil Verma]

has given them representation in various walks of life, in Parliament, in the Legislatures, etc. and given them certain important posts, even in the Cabinet, which we as young men could never have dreamt of. That shows his faith in the younger generation and I am very sure that the youth of the country will rise to those expectations and will, in an abundant measure, justify the confidence placed in them. A country, whose youths come to the forefront and shoulder more responsibilities and take over the reins of political affairs, is bound to progress. Therefore, Sir, I will congratulate the Government, especially the Prime Minister, not only for his determination to hand over the banner to the new generation, but also for providing by his deeds that he means it. All the fears and apprehensions expressed by certain people that probably the decision taken last time when the Constitution was amended could not be valid for the next election, have proved to be wrong and they are going to participate in the elections in a big way. I also welcome the decision to give 30 per cent reservation to women and I am sure that the youths of the country will be given adequate representation in the list of candidates who would be contesting the Assembly and Parliamentary elections which is a logical consequence of the decision to lower the voting age.

Another important thing that has been voiced by various Members today is that first there should be delimitation of constituencies. This was done last only in 1976, in my opinion, on the basis of the poll and the basis of census of 1971. Since then, census of 1981 has taken place. The Election Commission itself—you go through their recommendations—has recommended to the Government in its report that the Constitution should be amended so that the delimitation takes place automatically after every census. That is necessary. I cannot go into great details. The present delimitation is necessary because of the fact that certain defects have cropped up. The population has increased. There are certain enclaves in the present constituencies. Then, about reserved seats there is need to rotate them also. (*Time bell rings*).

I will take a few minutes more.

The important thing is particularly I welcome the declaration of the Prime Minister that reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be reviewed. I hope the Constitution (Amendment) Bill will come soon. This is a great decision. I do not look upon it as the right of the Scheduled Castes. But for the injustice which has been done for centuries to the Harijans of the country we are only doing something very little in return. And this renewal must continue, in my opinion, not only for the next five or ten years but for at least 25 years. Reservation must continue because despite all that we have been doing through legislation for the Harijans, if you go to the countryside, you cannot claim that really the situation their economic condition or social condition, has improved in the field and on the ground. Some progress has been there but not to the extent we would like it to be.

Sir before winding up I would say that electronic machines must be introduced as soon as possible. Identity cards must be issued to the voters to stop booth capturing etc.

Before I end, I will refer to what we saw in panchayat, in zila parishad election, etc. in Uttar Pradesh recently. We found that muscle power and money power played a very big part Particularly, weaker sections are suppressed. They have not been allowed to cast their votes freely. I would say that that is the biggest danger—I am talking as a citizen of the country, and I will appeal to the parties represented in this House not only but outside also to consider that for democ

cracy this is the biggest threat—mafia gang, muscle power, money power. In U.P.—I will not name the districts—very well known murderers have been elected as chairman of Zila Parishads, etc. I am very sure in Maha Palika elections which are going to take place, they will come up once again. I am saying that this disease is not confined to a particular party. It is for everyone to consider that we must fight this disease. (*Time bell rings*) We should fight this menace. This is a great danger to democracy. Mafia people will get elected to State Assemblies, I as sure. They will be coming down this time in very large number offering themselves as candidates for Parilament and for Assemblies. We all must fight to fight this evil. If they go to the top, as they have gone to the top in certain districts of Uttar Pradesh, then there will be no democracy in this country and the entire elections will be a farce. As soon as a candidate files his nomination papers, a murderer will go to his house in the night, knock at his door and say: "You must withdraw your nomination papers, otherwise you will be murdered tomorrow." So, I think the Government must improve the law and order situation. It is mainly for the political parties. They must come together and decide that they will not allow the *mafia* to play and role in the elections, that they will not allow the murderers, anti-democratic and anti-social forces to come round. I think this is the duty of the people, of all the nationalist and patriotic propel, of everyone who wants democracy to succeed in this country. It is our duty. We must perform it well to save democracy in this country.

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I was hearing carefully what my friend there was talking about the selection of candidates by the various political parties for the purpose of representing the people in the various forums of our country and the Legislatures. He has given sermons. Possibly I would suggest in reply to that that these things should not have come in the context of the Bill that is before us. First of all, let them look at themselves in the mirror before advising us in a generalised way. They will find whom the nominations are given.

SHRI KAPIL VERMA: We must not politicise it. We must consider it as a threat to democracy. All the political paties must consider it.

SHRI ASHIS SEN: Who is politicising what? I do not want to enter into that controversy unnecessarily raising these things. Now this is a Bill which is a follow-up of the amendment of the Constitution we had a few months back. There was no difference of opinion about the reduction of age from 21 to 18 years at that time. Naturally there should not be any controversy on that point now. I do not want to do that. We had also said in various public forums that the age for voting right should be reduced from 21 to 18 years as a reflection of the desire of the youth of this country. This is what the students of this country had been agitating for for decades together. We are happy that our party has closely associated itself with that demand. Naturally, therefore, it came first in those States where the Left Front Governments are ruling such as West Bengal. Tripura and Kerala. In West Bengal we had it for quite some time in response to the desire of the youth there and the voting age was reduced. So, the State Government reduced the age from 21 to 18 years in the Local-Self Government bodies such as Municipal Corporation and Panchayat elections. So was done in Tripura and some other non-Congress(I) States like Andhra Pradesh, etc. They have also done it. About 5 crores of young people will be benefited by it. Those who are of the age of 18 years and above should be incorporated in the voters' list. We must ensure that the names of all such people are incorporated and there must be a guarantee for that.

[Shri Ashis Sen]

Here I recollect one point. When the Left Front Government in West Bengal was going in for reduction of age from 21 to 18 years, the votaries of democracy today on the other side not only tried to obstruct it but also opposed and challenged in courts of law the move taken by the Left Front Government in West Bengal when they wanted to reduce the age of 18 years. It is a fact. Therefore, I said that let there not be sermons from those who opposed it when this was sought to be done by the non-Congress (I) States of our country. It is a paradox. Probably the Congress(I) has found that they are alienating the youth in spite of this Yojna or the other Yojna or scheme for the youth which is not implemented. Probably they have realised that this demagogy will not work. They are now following the leadership, the path shown by the non-Congress(I) Governments in some states, the path by the Left Front Governments led by our Party. They are now following that path though late. I thank them that now realisaion has come into them that this age reduction should come. They have understood it now. I am giving thanks to them that they are following what leadership has been given by non-Congress(I) Governments, particularly the Left Front Government of the CPM. *(Interruptions)* It is important, it should not be forgotten that the youth have got this, it is their achievement. And I do congratulate them on this occasion that their agitation and movement for reduction of this age have found a reflection in this Representation of the People Act.

Now on this Clause 2—Delimitation and consolidation —I think, if a little bit of clarification is there, perhaps, there was no need for having a clause recorded here. The power is already with the Election Commission. There was no need for making an extra provision here. Might be. I am not opposing that that way. But one question comes in clause 3—the qualifying date. The qualifying date has been made 1st April. Normally, it is 1st January, if I am not incorrect. What is the special purpose for this, for this year, the election year? Now I do not oppose it. But I have got a serious apprehension when I come across a subsequent clause—clause 6—where it says, "all things done and all steps taken before the commencement, should be taken as valid—the Clause of Validation. Here, I have to bring to the notice of this House there is information and there are report—and I am very much apprehensive whether it has got any bearing on that—that in the State of Tripura—might be, in any other State also, in the Congress States also, I do not know—as in the present Tripura State, in the voters list, there are names of people who are alines, people from the Bangaladesh who have come. It is also reported that the names of children below 18 years—some of 14 years or 16 years—have also been incorporated before the 1st of April in the State of Tripura, in the background of makaing use of this amendment from 21 years to 18 years. And such names have been incorporated to inflate the voters list with an eye on the coming election. Now, that has to be seriously, carefully gone through and corrections are made. If validation means that all those irregularities are to be validated, then this has to be taken very seriously. And we are concerned about it. This type of things have got to be corrected in time so that the youth, those who are generally legitimately entitled to be incorporated their names are incorporated but along with them these who are yet to read 18 years are not added. A special caution has to be taken. And I voice it. I request the Minister incharge of this to see that this type of wrong things are not done. We fully support this Bill. This is a Bill with reference to the reduction in age. And I voice here what the youth and the students of this country have been agitating for. And I thank all the

speakers from this side or that side, short of the politicalisation which my friend was talking about. Let it be in real terms that the people who are 18 years only, they and above them, are incorporated, and full freedom is given to them without coercion. Let it be in clear terms that they are freely entitled to participate in the body politic of our nation by sending their representatives to the Assemblies and to this Parliament and to the institutions of primary local self-government about out which we have been talking so much.

श्री धर्मपाल (जम्मू और काश्मीर) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस वित्त बिल को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि भारतीय आईन में 61स्ट अमेंडमेंट के बाद इस बिल की जरूरत थी । रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट में यह जो अमेंडमेंट ला. मिनिस्टर साहब लाये हैं मैं उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं इसमें सेक्शन 9, सेक्शन 14 और सेक्शन 19 ये तीन अमेंडमेंट्स हैं सबसे पहले मैं सेक्शन 19 को लूंगा क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है ।

जनाबेआली, यह क्रेडिट हमारे लीडर श्री राजीव गांधी को जाता है जिन्होंने देश के करोड़ों नौजवानों को, जिनकी उम्र 18 साल है, उनको वोट का अधिकार दिया है । इससे पांच, साढ़े पांच करोड़ के करीब नये वोटर्स होंगे । पहली बार कांग्रेस लीडर-शिप और राजीव गांधी जी ने इस देश के नौजवानों को देश की प्लानिंग में असेंबली के नुमाइंदे और पार्लियामेंट के नुमाइंदे चुनने का हक दिया है । यह क्रेडिट सिर्फ कांग्रेस को जाता है । यहां यह कहना कि हमने भी कोशिश की थी, इसका कोई मतलब नहीं । जनता सरकार भी ढाई साल तक शासन में रही । वे बातें इलेक्टोरल रिफार्मस की करते रहे लेकिन कुछ न कर सके और इस ढाई साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया । हमने उम्र कम करके नौजवानों को यह हक हक दिया है कि वे प्लानिंग प्रोसेस और नुमाइंदी चुनने का अधिकार प्राप्त करें। हमने इलेक्टोरल रिफार्म का बिल इस हाउस और दूसरे हाउस से पास कराया । यहां देखा गया है कि गरीब लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता । इसलिए ऐसा इंतजाम किया कि मसल पावर और मनी पावर का इस्तेमाल न हो और गरीब लोग वोट दे सकें । इसका हमने प्राविजन किया आइडेंटिटी कार्ड, मल्टीपरपज आइडेंटिटी कार्ड, यह जरूर होने चाहियें क्योंकि बोगस वोट की, चंद प्रदेशों, उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी शिकायतें आती हैं कि यहां पर गरीब लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता है । दूसरा वहां यह करते हैं कि बोगस वोट डालते हैं । इसलिए आइडेंटिटी कार्ड की व्यवस्था जरूर होने चाहिये । हमने यह भी सुना कि आप इलेक्ट्रोरल मशीन सिर्फ 150 कांस्टिटुएंसी में ही लगायेंगे । अगर हो सके तो पूरी जो हमारी 544 कांस्टिटुएंसीज हैं उनमें लगाई जानी चाहिये ।

दूसरा सेक्शन 14 में अमेंडमेंट लाया गया है । उसमें यह है कि क्वालिफाइंग डट पहली अप्रैल को है क्योंकि जब हमने पास किया और आधी से ज्यादा स्टेट असेंम्बलीज को करना था इसलिए 28 मार्च से हमने 18 साल की उम्र की है । इसलिए 1 जनवरी के बजाय पहली अप्रैल इसलिए किया ताकि लाखों करोड़ों वोटरान फर्स्ट अप्रैल से इलेक्शन में वोट डाल सकें इसलिए मैं इसको सपोर्ट करता हूं ।

सेक्शन 9 में है कि इलेक्शन कमीशन को अधिकार दिया है कि वह इन्फर्मेशन कलेक्ट करे शेडयूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की कांस्टिटुयेंसी के मुत्तलिक । मैं ला मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे सामने तमाम ऐसी कांस्टिटूयेंसीज शेडयूलड कास्ट और शेडयूलड ट्राइब्स की जो पिछले 25-25 सालों से रिजर्व चली आ रही हैं । इससे दूसरे लोगों को हक नहीं मिलता है कि वे भी खड़े हो सकें और उनको नुमाइन्दगी नहीं मिलती है । इसको रोटेट होना चाहिये और जो 25 साल से स्टेगनेट हैं उनमें जनरल लोग जो हैं वे खड़े नहीं हो सकते हैं । अगर यह इस इलेक्शन

[श्री धर्मपाल]

में हो सके तो बेहतर होता । इन कांस्टिटुएंसीज को आपको डी-रिजर्व और कइयों को रिजर्व करना चाहिये । साथ ही यह जो 50-60 हजार पर जो एक असेम्बली कांस्टिटुएंसी होती है तो इससे करीब ढाई से तीन लाख तक पार्लियामेंटरी कांस्टिटुएंसी के वोटर्स बढ़ेंगे । देश की आबादी भी बढ़ रही है, 2.5 फीसदी हमारी आबादी बढ़ रही है । इसलिए हमने इसमें आबादी की जो रोक लगाई है उसको भी हटाना होगा और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से हर इलेक्शन के बाद 40 से 50 तक कांस्टिटुएंसी बढ़ानी चाहिये और जो रिजर्व हैं उनको रोटेट होना चाहिये । हमारे साथी सी०पी०एम० के वैलीडेशन की बात कर रहे थे । वैलिडेशन का यह है कि अब हम पास भी कर रहे हैं और क्वालीफाइंग डेट 28 मार्च से है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रेशन आफ वोटर्स का प्रोसेस शुरू किया है। उसको हम वैलिडेट कर रहे हैं । नहीं तो रहता नहीं । उनका यह कहना हम, जो बन गये हैं उनको वैलिडेट नहीं कर रहे हैं । रजिस्ट्रेशन आफ वोटर्स में साफ है । प्रिलिमिनरी लिस्ट जो होती है तो यह हम सब पोलिटिकल पार्टीज का काम होना चाहिये कि उसको देखें । जिसको इलेक्शन लड़ना है उसको देखना चाहिये की 18 साल के कम उम्र का उसमें अपना नाम इंदराज न कर सके, कोई गैर-मुल्की वाशिदा वोटर लिस्ट में न आ सके । हो सकता है कि त्रिपुरा में और वैस्ट बंगाल में शिकायत हो । हर पोलिटिकल पार्टी को यह देखना है कि कोई गलत आदमी वोटर न बने । तो मैं सेक्शन 1.00 P.M. 8, सेक्शन 14 और सेक्शन 19 और जो वैलीडेशन की बात है उसकी ताईद करता हूं और साथ ही जो शेड्यूल 4 में महाराष्ट्र के मुत लिलक जो टाउन कमेटीज थी वह एग्जिस्ट नहीं करती। इस बिल को मैं सपोर्ट करता हूं। कांग्रेस के रहनुमाओं को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वोटिंग उम्र को कम कर के 18 साल कर दिया है और नौजवानों को मौका दिया है ताकि वो देश की प्रगति में योगदान दे सकें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H HANUMANTHAPPA): Hon. Members, since it is the last day of the session and the House has a heavy agenda before it, if the House agrees we can skip lunch hour and continue our business.

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश) : जनाब वाइस-चेयरमैन साहब, यह जो बिल लाया गया है दी रिप्रेजेंटेशन आफ दी पीपल (अमेंडमेंट) बिल, 1989 मैं और मेरी पार्टी इसकी भरपूर ताईद करते हैं। गुजिश्ता साल दिसम्बर के महीने में जो कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था वोटिंग उम्र 21 के बजाय 18 साल होनी चाहिये उसके बाद यह जरूरी हो गया था कि यह बिल ले कर आएं। यह एक टेक्नीकल फारमेलिटी है जहां तक अभी मिस्टर कपिल वर्मा और श्री धर्मपाल ने कहा कि इसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को जाता है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता चुनांचे मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि मेरी तेलुगु देशम पार्टी की हकूमत ने 1987 में जब रियासते आन्ध्र प्रदेश में जिला प्रजा परिषद और मण्डल प्रजा परिषद के इलेक्शन हुए, मुझे इस बात को कहते हुए फख्र होता है कि तेलुगु देशम पार्टी की हकूमत ने वोटिंग उम्र 18 साल की। जितने नौजवान 18 साल के थे उन्होंने वोट दिया, मुझे इस बात का फख्र है। यह कैसे कह सकते हैं कि इसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को जाता है इसका क्रेडिट अपोजीशन को जाता है और खास तौर पर नौजवानों के ख्वाबों की ताबीर पूरी हो रही है जिसका वो कई सालों से मुतालबा कर रहे थे कि उम्र 21 साल के बजाय 18 साल होनी चाहिये। चुनांचे अपोजीशन ने भी मुसलसल मुतालबा किया ।

जब से तेलुगु देशम पार्टी का खयाम 1982 ईस्वी में अमल में आया उस वक्त तेलुगु देशम पार्टी की पालिसीज और प्रोग्राम में यह शामिल है कि वोट देने की उम्र 18 साल होनी चाहिये। इसलिए 1987 के जिला प्रजा परिषद और मण्डल प्रजा परिषद के इलेक्शन में

इसका इम्पलीमेंटेशन किया गया। हम तो चाहते थे कि दिसम्बर 1988 में हकूमत ने जो इलेक्टोरल रिफार्म पेश किये उस में हम त्वक्को कर रहे थे कि गवर्नमेंट एक कम्प्रिहेंसिव बिल ले कर आए मगर इंतिहाई अफसोस की बात है कि दूसरी चीजें टच करने के बजाय सिर्फ 18 साल उम्र करने की बात कही गई यह भी ठीक है। होना तो यह चाहिये था कि एक कम्प्रिहेंसिव बिल ले कर के आते जिसके जरिये बोगस वोटिंग जो होती है वह बुराई भी रोकी जा सकती। दूसरा आइडेंटिटी कार्ड जारी करने का भी एक प्रोपोजल था। हमारी तेलुगु देशम पार्टी और आन्ध्र प्रदेश की हकूमत ने एक कम्प्रिहेंसिव प्रोपोजल भेजा और हम त्वक्को कर रहे थे कि कम्प्रिहेंसिव इलैक्टोरल रिफार्म होंगे मगर यह कम्प्रिहेंसिव बिल नहीं लाए मैं हकूमत से यह मुतालबा करूंगा कि इलैक्टोरल रिफार्म है जैसे आइडेंटिटी कार्ड का सिस्टम लागू किया जाए, फिर जो बोगस वोटिंग होती है उसको रोकने के लिए कदम उठाए जाएं और खास तौर पर मनी इनफ्लुयेंस, लिकर इन्फ्लुयेंस और उसी तरह की जो दुसरी बातें होती हैं उन सब को खत्म करने के लिए एक जामे बिल लाया जाना बेहद जरूरी है जहां तक इस बिल के जरिये डिलिमिटेशन आफ कांस्टीटुएंसीज की भी बात आई है वक्त की अहमतरीन जरूरत है कि डिलिमिटेशन का काम बहुत जल्द होना चाहिये पिछले कई सालों से रिजर्व कांस्टीटुएंसीज हैं देखा यह गया है कि कई कांस्टीटुयंसीज ऐसी हैं जहां पर आबादी और वोटर काफी तादाद में बढ़ गये हैं। और कई कांस्टीटुएंसीज ऐसी हैं जहां पर इंतिहाई कम तादाद में वोटर्स हैं। दूसरी बात यह है कि ये रिजर्व्ड कांस्टीटुएंसीज कई सालों से वही रिजर्व्ड कांस्टीटुएंसीज बनकर चली आ रही हैं। जरूरत इस बात की है कि इनमें तब्दीली हो। मगर इलेक्शन बहुत करीब आ गये हैं और हुकूमत बहुत देर से जागी है। डीलिमिटेशन का काम वो बहुत पहले से होना चाहिए था। पिछली लोकसभा में 1985 के वक्त में राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में यह कहा था कि डीलिमिटेशन और इलेक्ट्रोरल रिफार्म्स लाये जायेंगे। मगर इंतिहाई अफसोस की बात है कि लोकसभा का पीरियड खत्म हो रहा है इसके बावजूद भी अभी तक न डीलिमिटेशन की बात लायी गयी है और न इस किस्म के इलेक्ट्रोरल रिफार्म्स लाये गये हैं। मैं सीरियसली अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि वह डीलिमिटेशन के ताल्लुक से इंतिहाई सीरियस रहे और दूसरे जिन इलेक्ट्रोरल रिफार्म्स का मैंने अभी जिक्र किया है उनके ताल्लुक से गौर किया जाये। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं फिर एक दफा इस बिल की ताईद करते हुए जो मुझे टाईम दिया गया उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक, 1989 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे नौजवान प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने जब इस मुल्क में अपूर्व जन समर्थन के साथ सत्ता संभाली तो उन्होंने कुछ कसमें उठाई थी, जिसमें यह भी था कि हिन्दुस्तान की प्रगति में, हिंदुस्तान के हर एक काम में हम नौजवानों का हाथ बटवायेंगे और इस कसम को पूरा करने के लिए जब वक्त आया तो एक वक्त चर्चा में उन्होंने कहा कि मुल्क को बचाने के लिए जिस तरह से आंतरिक और बाहरी दोनों ही सुरक्षाओं की जरूरत पड़ती है उसको अगर मद्देनजर रखें तो हम एक तरफ अपने मुल्क को बाहरी शत्रुओं से बचाने के लिए जवान सरहदों पर खड़े करते हैं और जब सरहदों पर जवान खड़े किये जाते हैं तो उन जवानों की रिक्रूटमेंट होती है और आर्मी की रिक्रूटमेंट में 18 साल का नौजवान लिया जा सकता है पर हमारे पोलिटिकल और डमोक्रेटिक प्रोसेस में आज तक किसी ने इसकी पहल नहीं की थी कि इस आंतरिक इंटर्नल डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी इन 18 साल के नौजवानों पर विश्वास किया जा सकता है या उनके कंधों पर इतना भार डाला जा सकता है। यह एक नयी चीज थी, एक नया सोच था जो हमारे परम प्रिय राजीव गांधी जी ने दिया था और आज उसको

[श्री सुरेन्द्रजीतसिंह अहलूवालिया]

हम पूरा करने जा रहे हैं। यह एक नया सपना है हिन्दुस्तान के नौजवानों का और हिन्दुस्तान के लोगों का जिन्होंने एक डिसिजन लिया है। युवा प्रधान मंत्री आज युवकों के हाथ में इस देश की सत्ता का भार देने जा रहे हैं। कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं इस पर कई फोरम, कई सेमीनार, कई सिम्पोजियम और कई पार्टियों ने विचार रखे, कईयों ने विरोध किया और कईयों ने समर्थन किया। पर राजीव गांधी के जेहन में एक मुद्दा क्लियर था कि अगर हम 18 साल के नौजवान के हाथ में स्टेनगन दे सकते हैं, उसको तोप चलाने दे सकते हैं इस मुल्क की सुरक्षा के लिए तो हम उनको मताधिकार क्यों न दें और अब वह मताधिकार दिया जा रहा है। मैं आपको और पूरे सदन को और इस सदन के माध्यम से पूरे हिन्दुस्तान के वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज का दिन बड़ा शुभ दिन है और आज का दिन जनप्रतिनिधियों के अधिकार पाने का दिन है। आने वाले दिनों में स्वर्णाक्षरों में आज का दिन लिखा जायेगा। साथ साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि ये नौजवान साथी जब हमारे साथ मिलकर मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे लोग इसका मिसयूटिलाइजेशन करने के लिए, इनको दिग्भ्रांत करने के लिए, इनको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनायेंगे। पर एक तरफ इन नौजवानों के इधर भर्ती होने से इन नौजवानों के नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाने से कई लोगों को खतरा भी पैदा होता है। और वह खतरा देखने की जरूरत है, उन खतरों को दूर करने की जरूरत हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है।

आज जब हम वैल्यूज की पालिटिक्स में बात करते हैं, हमने पिछले दिनों इस हाउस में आलोचना की है और हमने विचार किया है तथा देखा है कि किस तरह लोगों ने बदमाशों को, लुच्चों को, लफंगों को, तस्करों को, उचक्कों को अपने इलेक्शन में यूज किया है। अभी पिछले दिनों अखबार में हाजी मस्तान का दिया हुआ स्टेटमेंट छपा कि मैंने तन, मन, धन से वी० पी० सिंह को इलाहाबाद के इलेक्शन में समर्थन किया था। पर आज वह चूक गये और दूर हट गये। इसका भी सुधार करने की जरूरत है और इसका सुधार यह जो पांच करोड़ नौजवान आयेंगे, यह करके दिखायेंगे। यह दिखायेंगे कि राजनीतिक जीवन में स्वच्छता कैसे आएगी, जिनके अधिकारों को छीन कर आज तक लोग तरह-तरह से सत्ता को संभालने की कोशिश करते थे, तरह-तरह से पार्लियामेंट में और विधान सभाओं में घुसने की कोशिश करते थे, । सारे इलेक्शन के टाइम में उनसे परिश्रम करवाया जाता था, पोस्टर वह लिखते थे, सब पोलिटिकल पार्टीज करती हैं, यह सिर्फ कांग्रेस को ही बात नहीं, हरेक पोलिटिकल पार्टी नौजवान कालेज के स्टुडेंट्स से पोस्टर लिखवाती है, माइक चलवाती है, कम्पैन करवाती है क्योंकि वोट के दिन वह वोट नहीं दे सकता।

अभी एक मार्क्सवादी बन्धु कह रहे थे कि त्रिपुरा में आज यह हो रहा है, पर मैं उनसे प्रश्न करूं कि बंगाल में क्या हुआ ? बंगाल में आप ग्राफ बनायें कि कितने वोटर कब बने हैं। हरेक बार जितनी बार वोटर्ज बनाने की बात आई है, तो पापुलेशन का हिसाब देखिए—1971 में जब बंगाल देशी रिफ्यूजीज आये, उनको वोटर्ज किसने बनवाया था ? वह रिफ्यूजी कैम्प में रहते थे, उनको वोटर्ज किसने बनवाया था और कैसे वोट लिए गए थे ?

तो यह सब सोचने की बात है। हाई वैल्यूज की बात करते हैं, तो हमें जमीन पर उतर कर बात करनी चाहिए आसमान पर नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि अब करीब 42 करोड़ से ज्यादा वोटर्ज हो जायेंगे इस बार और पिछली बार 1984 में जो चुनाव हुआ था, उसमें में करीब 19 करोड़ लोगों ने वोट दिये थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस समय 38 करोड़ वोटर्ज थे और उसमें सिर्फ 19 करोड़ लोगों ने वोट दिये थे।

मेरे कहने का मतलब यह है कि आज भी जागरूकता की जरूरत है

हर सिटिजन को जो वोटर है, वह अपना वोट देने क्यों नहीं जाता ? ऐसा कानून भी आना चाहिए कि हर वोटर को वोट देने का अधिकार जैसे मिला हुआ है, उसे वोट देने जाना भी चाहिए, उसे उस अधिकार का पालन भी करना चाहिए अगर वह वोट देने नहीं जाता है, तो उसका सिर्फ वोटिंग राइट हो, मत छीन लिया जाए, बल्कि उसकी नागरिकता छीनने का भी सरकार के पास अधिकार होना चाहिए । (**समय की घंटी**)

श्री डगेश देसाई (महाराष्ट्र) : कई वोटर्ज को तो पोलिंग बूथ तक जाने ही नहीं दिया जाता है ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : दो कारण हैं । एक तो उन्हें जाने नहीं दिया जाता पोलिंग बूथ पर--अब वह कहते हैं कि साहब पुलिस का बंदोबस्त कीजिए । अब पूरे हिन्दुस्तान में 4 लाख 71 हजार पोलिंग बूथ है, तो कितनी जगह इस तरह के बंदोबस्त किये जा सकते हैं ?

यह तो समाज में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि लोगों को पता लगे कि जिस तरह हम अपने धार्मिक पर्व में जाते हैं, डेपोक्रेटिक सिस्टम में, कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार हरेक जनतांत्रिक मनुष्य के लिए वह भगवतगीता है, गुरु ग्रंथ साहब है, होली बाईबल है, रामायण और कुरान है । इस तरह से इसे मानने का जरूरत है और जिस दिन इलेक्शन होता है, हरेक आदमी को जिस तरह से वह तैयार होकर अपना पर्व मानने जाता है, कोई राम नवमी में जाता है, कोई ईद मनाने जाता है, कोई गुरु पर्व में जाता है, कोई क्रिसमस मनाने जाता है, उसी तरह से उसको वोट देने जाना चाहिए । यह इच्छा जागने की जरूरत है और अपने अधिकार का पालन करना चाहिए । (**समय की घंटी**) ।

महोदय, मैं आप के माध्यम से सरकार को गुजारिश करूंगा कि यह जो घर-घर जा कर वोटर्ज लिस्ट बनाई जाती है, यह सिस्टम खत्म होना चाहिए । यह सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हरेक आदमी, जिसकी 18 साल उम्र हो गई है, यह उसका फर्ज बनाता है कि निर्वाचन आफिस में जाकर वोटर्ज लिस्ट में अपना नाम जुड़ाये । अगर वह नहीं जुड़ाता है, तो उसके लिए दिक्कत का कारण बने । आज क्योंकि आप को गैस कनेक्शन लेना है, तो राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है, आप को चीनी लेनी है, तो राशन कार्ड को जरूरत पड़ती है, आपको एडिबल आयल चाहिए तो राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है । मल्टी पर्पज जो आइडेंटिटी कार्ड की बात आती है, आइडेंटिटी कार्ड वोटर लिस्ट के बेस पर बननी चाहिए और उस बेस पर यह कि हर इलेक्शन में जो वोट देगा तो वह आइडेंटिटी कार्ड रेन्यू होगा और अगर वह वोट देने नहीं जाते तो उसका रेन्यूवल नहीं होना चाहिए और वह अधिकार उसे नहीं मिलने चाहिए--इसकी जरूरत है ।

महोदय, मैं आप के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि डि-लिमिटेशन की बात जो हो रही है, 1971 के सेन्सस के माध्यम से 1976 में डी-लिमिटेशन हुई थी, उसके बाद अभी डी-लिमिटेशन नहीं हुआ । 1981 में सेंसस हो गई, उसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई, काफी चर्चा हुई . . . पर अभी तक डी-लिमिटेशन नहीं हुआ है । कहीं-कहीं देखा जाता है कि एक एम.पी. जब चुनाव लड़ता है तो उसका क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि वह घूमते-घूमते थक जाता है, लोगों से मिलते-मिलते थक जाता है । इसलिए इसमें अगर सीटें बढ़ती हैं तो बढ़ें, पर डि-लिमिटेशन करके उनकी संख्या को कम करने की जरूरत है । किसी जगह संख्या 12 लाख है, कोई जगह 14 लाख है और कोई जगह 7 लाख है, तो यह डी-लिमिटेशन करने की जरूरत है । 1981 के माध्यम से अब एक डी-लिमिटेशन करने की जरूरत है । यही कहते हुये, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं ।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): I welcome this Bill. I hope this will be a great booster to the younger generation of the country for taking part in the democratic functioning of our polity. But still I feel there should be certain modifications. First, those who are eligible to vote must also have a right to stand in election to the State Assemblies and to Parliament. I think the hon. Member would make certain provisions to help these young ones to stand as candidates in the elections. Second, there should be a provision for greater representation of the students, because the bigger the number of voters as students, the bigger should be reservation of seats for them. Third, I feel there should be more representation to women because they comprise half of the voters. Forth, electoral reforms are an urgent necessity. Since so many hon. Members have spoken on this and because there is a time constraint, I would not elaborate on it. The Minister should also do something for the delimitation of constituencies because some of the constituencies are very big as a result of which people are not properly represented. This should be urgently done as it would be better for the country.

The proposal for lowering the voting age to 18 years has not been a new one. It had been there in Tripura, it had been there in West Bengal and in Karnataka also. Therefore, the Congress Party alone should not take credit for this. I request the party in power at the Centre that it should not try to utilise it as an election stunt, thereby corrupting the young people. I hope this Bill will bring about an immense boost to the young people in channelising their energies to democratic process and in safeguarding the rich heritage of the country.

SHRI B. SHANKARANAND: At the outset I must express my gratitude to all the Members, who have participated in the debate and supported the Bill wholeheartedly. The Bill, as passed by the Lok Sabha, still another indication of the serio concern of the government and Prir Minister Rajiv Gandhi for the e ective functioning of democracy this country and his trust and con dence in the ability and competen and foresight of the youth in kee ing the future of the country secu and for the peaceful transformation the society through participatory c mocracy as a means. We have n lost any time. On the other hai we have taken many steps to see th the youth within the age group of and 21 became entitled to exerci their franchise after the passing the Constitutional (Amendment) Bi

The Election Commission has take advance action to see that the vote lists are revised and they are reac without losing any time for the ele tions. I have listened to the deba very interested. Though the observ tions made by the hon. Members a not directly relevant to the provisio of the Bill, still they are very rel vant as far as the electoral reform are concerned. Sir, this House h debated in detail and discussed t these matters with regard to elector reforms whether they are revision voters' list, reduction of the ag various corrupt practices employed l the people during the elections. Mem bers have expressed their concer about giving protection to the vote specially to the weaker section providing identity cards to the voter using electronic voting machines the elections and reservation of sea for Scheduled Castes and Schedule Tribes and their concern for rotatir such reserved constituencies in fi ture. All these things, Sir, we a appreciate and we take into con deration while thinking of implemen ing.

The delimitation could not be take up because the elections are to l held this year and it cannot be com pleted before the elections. That the reason why the qualifying da

has been chosen as the 1st April, 1989. The Election Commission has taken many actions in that regard. So there has been a provision in this Bill for ratifying whatever action has been taken by the Election Commission. We are also amending section 9 of the Representation of the People Act, 1950 as envisaged in clause 2 of the Bill, giving authority to the Election Commission to consolidate various orders under the Central laws, with regard to delimitation of Parliamentary and Assembly constituencies.

Sir, the hon. Members have not made any observations with regard to the provisions of the Bill that is before this House. On the other hand, I am grateful to them that they have expressed their whole-hearted support. Therefore, I do not want to waste the time of the House. While expressing my gratitude to the Members, I request the House to give their seal of approval to the Bill, and the Bill may be passed unanimously.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The question is :

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 to 6 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI B. SHANKARANAND: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

MOTION REGARDING APPOINTMENT OF A MEMBER OF THE RAJYA SABHA TO THE JOINT COMMITTEE OF THE HOUSES ON THE INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 1987.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Hon. Members, before we take up the next item of the agenda, there is a small item regarding filling up of a vacancy in the Joint Committee of the Houses on the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 1987. With the permission of the House, I am calling the Parliamentary Affairs Minister to move the motion.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Sir, I beg to move:

"That Dr. C. Silvera, Member, Rajya Sabha, be appointed to the Joint Committee of the Houses on the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 1987, in the vacancy caused by the resignation of Shri Motilal Vora from the membership of the Rajya Sabha."

The question was put and the motion was adopted.

SHORT DURATION DISCUSSION—

Launching of Jawahar Rozgar Yojana

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, on 20th April, our Prime Minister presented in the House a Jawahar Rozgar Yojana and he claimed that one member from each family under the poverty line will be given employment under this scheme. Sir, where is the Minister?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): He is here already.